

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर  
(भामाशाह योजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ17(1)2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/पार्ट II ॥ 6164-94

दिनांक: 28/4/2015

जिला कलक्टर  
एवं जिला भामाशाह प्रबंधक,  
समस्त, राजस्थान

विषय:- भामाशाह योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु बजट आवंटन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि भामाशाह नामांकन शिविर/फॉलोअप शिविरों का आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय करने के लिए निम्नलिखित जिला कलक्टरों को उनके जिले के सामने अंकित राशि आवंटित करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

**Budget Allotment under Bhamashah Scheme for Remaning Camp and Followup  
Camp Organisation During the year 2015-16**

S.No.	Name of District	बजट मद 3454-02-203-(02)-[01]-29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना)
		Total Budget Allotment (Rs. In Lakhs)
1	2	3
1	AJMER	14.20
2	ALWAR	23.40
3	BANSWARA	37.90
4	BARAN	21.85
5	BARMER	22.90
6	BHARATPUR	16.15
7	BHILWARA	46.90
8	BIKANER	27.65
9	BUNDI	25.45
10	CHITTORGARH	35.75
11	CHURU	24.00
12	DAUSA	11.10
13	DHOLPUR	8.25
14	DUNGARPUR	26.05
15	GANGANAGAR	19.90
16	HANUMANGARH	8.70



17	JAIPUR	49.25
18	JASALEMR	22.65
19	JALORE	16.05
20	JHALAWAR	34.70
21	JHUNJHUNU	21.10
22	JODHPUR	23.35
23	KAURALI	39.15
24	KOTA	10.75
25	NAGPUR	79.60
26	PALI	22.35
27	PRATAPGARH	24.95
28	RAJSAMAND	22.05
29	SAWAI MADHOPUR	17.80
30	SIKAR	20.65
31	SIROHI	16.75
32	TONK	14.05
33	UDAIPUR	67.40
	<b>TOTAL</b>	<b>872.75</b>

उक्त व्यय लेखा मद 3454-02-203-02-01-29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना) से प्रभार्य होगा।

उक्त आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करने के लिए सभी जिला कलक्टर को आहरण एवं वितरण के अधिकार वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे। उक्त राशि का व्यय मुख्य सचिव, महोदय के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक 29279 दिनांक 18.07.2014, क्रमांक 32128-225 दिनांक 06.08.2014 एवं परिपत्र क्रमांक 1631 दिनांक 12.01.2015 के अध्यक्षीन किया जा सकेगा तथा भविष्य में जारी होने वाले दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।


इस राशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा:-

1. आवंटित राशि का उपयोग लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम 2013 एवं तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. आवंटित राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन भामाशाह नामांकन शिविरों के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
3. जिस गतिविधि के लिए राशि आवंटित की जा रही है, उसी गतिविधि पर राशि का व्यय किया जावे। इस संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन अपेक्षित होने पर संयुक्त निदेशक भामाशाह प्रकोष्ठ से सम्पर्क किया जा सकता है।
4. आवंटित राशि के गतिविधिवार/लेखा शीर्षवार लेखे एवं बजट नियंत्रण पंजिका संधारित की जावे।
5. राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम-नियामक एवं स्थापित प्रक्रिया तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावे।



यह स्वीकृति पत्रावली पर वित्त विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. संख्या 161500570 दिनांक 24.04.2015 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)2/भामाशाह/बजट/डीईएस/2014/पार्ट II 16195-233 दिनांक: 28/4/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त राशि के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित कराने का श्रम करावें।
5. कोषाधिकारी जिला कोष कार्यालय, राजस्थान, समस्त।
6. एसीपी मुख्यालय को वेबसाइट पर डालने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



(राजेन्द्र सिंह तंवर)  
संयुक्त निदेशक, भामाशाह